राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1ए, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./2014/ 11978 जयपुर, दिनांक : 17/12/14

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजट शीर्षक 2235-02-196-15-09 अंतर्गत विकलांगों के लिए खेलकूद कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु विभाग को बजट उपलब्ध करवाया जाता है । बजट प्रावधान का मुख्य उद्देश्य खेलकूद अंतर्गत विशेष योग्यजन प्रतिभाओं का खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से दक्षता एवं क्षमता में वृद्धि करना है ताकि विशेष योग्यजन समाज की मुख्य धारा से जुड सकें।

वर्तमान में विभाग स्तर पर आवंटित बजट को सामयिक व्यय किए जाने, खेलकूद कार्यक्रमों के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने से विभाग को उपलब्ध करवाये गये बजट प्रावधान का पारदर्शी व औचित्यपूर्ण तरीके से व्यय नहीं होने के सम्बन्ध में जिलों में पदस्थापित विभागीय जिलाधिकारियों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने बाबत विभाग का ध्यान आकर्षण करते हैं । इस परिप्रेक्ष्य में विकलांगों के लिए खेलकूद कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु विभाग को उपलब्ध करवाये गये बजट प्रावधान को व्यय किए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं-

1. जिले में विभागीय जिलाधिकारी द्वारा खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वयं के द्वारा अथवा जिले में विशेष योग्यजन के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आयोजित करवाये जा सकेंगे ।
2. इस हेतु विभागीय जिलाधिकारी को उक्त वर्णित समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक बुलाकर खेलकूद कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु किसी एक संस्था का चयन करेंगें। इस बैठक में जिला खेल अधिकारी को आवश्यक रूप से आहूत किया जाना आवश्यक होगा । स्वयंसेवी संस्था के चयन के लिए निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जायेगा-

   (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-अध्यक्ष

   (ii) जिला खेल अधिकारी- सदस्य

   (iii) सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग- सदस्य

   (iv) विभागीय जिलाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित/कार्यरत लेखाकर्मी - सदस्य

   (v) विभागीय जिलाधिकारी-सदस्य सचिव

   परन्तुक यह है कि जिले में राजस्थान राज्य से बाहर की स्वयं सेवी संस्था द्वारा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा ताकि स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबल मिल सके। जिले में विशेष योग्यजन के क्षेत्र में पंजीकृत/कार्यरत स्वंय सेवी संस्था का चयन किया जाना आवश्यक होगा।

3. कमेटी चयन के पश्चात विभागीय जिलाधिकारी द्वारा चयनित स्वयंसेवी संस्था को प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते हुए आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृति की प्रति आवश्यक रूप से जिलाकोष कार्यालय को पृष्ठांकित की जावेगी।

4. विशेष योग्यजन के सर्वांगीण विकास हेत जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी । संभाग स्तर की प्रतियोगिता संभाग स्तर पर पदस्थापित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता उप निदेशक जयपुर (शहर) द्वारा आयोजित करवाई जावेगी।

संभाग व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्वयंसेवी संस्था का चयन जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन की भांति किया जावेगा। संभाग व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए संबंधित स्वयं सेवी संस्था को विभागीय जिलाधिकारी (संभाग मुख्यालय/जयपुर शहर) के कार्यालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके सम्बंध में वर्णित कमेटी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

5. खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष में एक बार ही किया जा सकेगा।

6. चयनित स्वयंसेवी संस्था द्वारा कार्यक्रम हेतु प्रभावी व्यापक, प्रचार-प्रसार भी किया जावेगा। विभागीय जिलाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

7. विभाग द्वारा विभागीय जिलाधिकारी को एवं विभागीय जिलाधिकारी द्वारा स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध करवाई गई राशि का अधिकतम 75 प्रतिशत खेलकूद हेतु एवं 25 प्रतिशत सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु व्यय किया जा सकेगा। यह राशि परस्पर अन्तर्णीय नहीं होगी।

8. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वास्तविक व्यय का हिसाब प्रस्तुत करने पर आवंटित राशि या वास्तविक राशि जो दोनों में से कम हो का जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त भुगतान किया जायेगा। किसी भी सूरत में स्वयंसेवी संस्था को अग्रिम राशि रिलीज नहीं की जावेगी।

9. राशि रिलीज एवं व्यय करने हेतु निम्नांकित मापदण्डों का निर्धारण किया जाता है-

स्तर	आवंटित राशि		न्यूनतम प्रतिभागी
	खेलकूद हेतु	सांस्कृतिक कार्यक्रम	
जिला स्तर पर	50000/-	25,000/-	25
संभाग स्तर पर	65000/-	35,000/-	35
राज्य स्तर पर	75000/-	50,000/-	50

उक्त आवंटित राशि समस्त प्रयोजनार्थ यथा- ठहराव, खान-पान एवं आयोजन स्थल की व्यवस्था मय पुरस्कार व्यय की जा सकेगी । उक्त के अतिरिक्त व्यय आयोजक स्वयं सेवी संस्था द्वारा वहन किया जा सकेगा।

9. निम्नलिखित खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेगी–

(1) एथेलेटिक प्रबतयोगिताएं (निम्नलिखित में से कोई दो आयोजित करें)

(i) विशेष योग्यजन की दौड प्रतियोगिता 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर

(ii) व्हील चेयर दौड प्रतियोगिता (25 मीटर)

(iii) कूद प्रतियोगिता – 1. स्टेण्डिंग कूद 2. लम्बी कूद

(iv) थ्रो प्रतियोगिता – 1. सॉफ्ट बाल 2. सोट पूट

(2) खेल प्रतियोगिताएं (निम्नलिखित में से कोई एक आयोजित करें)

(i) बुकी

(ii) खो–खो

(iii) बैडमिन्टन

(3) सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं (निम्नलिखित में से कोई एक आयोजित करें)

(i) नृत्य (एकल नृत्य एवं सामूहिक नृत्य)

(ii) गायन(एकल एवं सामूहिक)

(iii) अभिनय (एकल एवं सामूहिक)

परन्तुक यह है कि जिला कलक्टर की कारण अभिलिखित करते हुए उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी खेलकूद/सांस्कृतिक प्रतियोगिता को शामिल किया जा सकेगा एवं जिला स्तर/संभाग स्तर कार्यक्रम का शुभारंभ निर्वाचित जन प्रतिनिधियों व जिला कलक्टर द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। विभागीय जिलाधिकारी इस हेतु उचित निर्णय जिला कलक्टर स्तर से करवायेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय उपरांत किया जावेगा।

10. खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम नियत किया जाता है–

(i) जिला स्तर पर –माह अक्टूबर

(ii) संभाग स्तर पर– माह नवम्बर प्रथम पखवाडे तक

(iii) राज्य स्तर पर– 20 नवम्बर तक ताकि प्रथम स्थान प्राप्त विजेता को 3 दिसम्बर को राज्य स्तर पर आयोजित विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जा सके।

11. निदेशालय स्तर पर पर्याप्त आधारभूत मॉनिटरिंग संरचना की उपलब्धता न होने से किसी भी दशा में निदेशालय स्तर से स्वयंसेवी संस्थाओं को सीधे ही किसी प्रकार की राशि रिलीज नहीं की जावेगी।

12. उक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

16/12/201

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./2014/ 11979 जयपुर, दिनांक : 17/12/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त (विशेष योग्यजन), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन।
6. समस्त जिलाधिकारी, जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

17.12.14

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव